Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला झालावाड़ तहसील असनावर के स्टाम्प वेंडर श्री गोपाल राठौड़ व पटवारी श्री बसंत सिंह पटवारी पटवार मण्डल डूंगरगांव तहसील असनावर जिला झालावाड़ 5,000/– रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 24 अप्रेल, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री गोपाल राठौड़ उम्र 20 वर्ष, निवासी असनावर जिला झालावाड़ हाल दुकान (गुमटी) स्टाम्प वेंडर राठौड़ टाइपिंग तहसील कार्यालय असनावर जिला झालावाड़ (राज.) व श्री बसंत सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल पटवारी पटवार मण्डल डूंगरगांव तहसील असनावर जिला झालावाड़ को परिवादी से 5,000/– रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी झालावाड़ को परिवादी द्वारा दिनांक 22.04.2025 को जरिये मोबाईल से अवगत कर दिनांक 23.04.2025 को शिकायत दी गई कि प्रार्थी की बहन के नाम कृषि भूमि है, जिसको वह अपने पुत्र के नाम दान पत्रिका कर रही है जिसके संबंध में प्रार्थी पटवारी बसंत से मिला और रजिस्ट्री के बारे में बात की तो उन्होने अपना काम करवाने के लिए गोपाल जी राठौड़ ई–मित्र वाली से मिलने को कहा। इस पर में गोपाल जी राठौड़ से मिला तो गोपाल राठौड़ ने कहा कि रजिस्ट्री के 40,000/– रूपये लगेगें जिसकी रसीद देगें और 20,000 रूपये अलग से लगेगें जो कन्ट्रक्शन के होगें, जिस पर मेंने 40,000/– रूपये दिनांक 21.04.2025 को दिए। उसके बाद गोपाल जी राठौड़ ने कहा कि तहसीलदार साहब व पटवारी जी 60,000/– रूपये बता रहें है लेकिन मैंने तहसीलदार जी से बात करी है तो पटवारी और तहसीलदार जी दोनों को कन्ट्रक्शन के लिए राजी कर लिया है। उपर–उपर ही 20,000 रूपये देने के लिए कहा है परिवादी ने दिनांक 22.04.2025 को मेरी बहन के मोबाईल से गोपाल राठौड़ जी के मोबाईल पर 15,000/– रूपयें फोन पे कर दिये थे तथा शेष 5,000/– रूपये आज कल में देने का कहा इस पर दिनांक 23.04.2025 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाये जाने पर परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया गया।

जिस पर एसीबी रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीना** के सुपरविजन में **एसीबी चौकी कोटा देहात हाल अतिरिक्त चार्ज एसीबी झालावाड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल सिंह कानावात** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री साजिद खान** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण श्री गोपाल राठौड़ स्टाम्प वेंडर व श्री बसंत सिंह पटवारी को परिवादी से 5,000 /– रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।